अपील सूचना अधिकार संख्या 103/2019 (GCMS 2019/00271) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर संख्या 46एफ/986481) <u>बनाम</u> लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>02.03. 2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 01.11.2019 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमान् कलक्टर साहब के आदेश दिनांक 27.06.2019 की पालना में प्रबन्ध निदेशक, दीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा तत्कालीन बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल, बैंकिंग सहायक के विरूद्व जारी 16 सीसीए के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2019 को जारी आरोप पत्र जिसमें 15 दिन का समय जवाब हेतु दिया गया उस बाबत सूचना कि जवाब जिस दिवस दिया गया।
2. दिनांक 31.07.2019 को जारी आरोप पत्र में 15 दिवस का समय प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने पत्र 21950 दिनांक 31.07.2019 से दिया गया था। अतः दिनांक 16.08.19 से दिनांक [illegible].10.19 तक जो जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. धारा 16सीसीए के अन्तर्गत जारी अरोप पत्रों में की जाने वाली सजा के विवरण की सूचना व प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/93 दिनांक 10.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा इस कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना चाही उक्त सूचना बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार से है:

क्र.सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1	श्रीमान् कलक्टर साहब के आदेश दिनांक 27.06.2019 की पालना में प्रबन्ध निदेशक, दीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा तत्कालीन बी. एल.ओ. श्री सुभाष गोयल, बैंकिंग सहायक के विरूद्ध जारी 16 सीसीए के अन्तर्गत दिनांक 31.07.2019 को जारी आरोप पत्र जिसमें 15 दिन का समय जवाब हेतु दिया गया उस बाबत सूचना कि जवाब जिस दिवस दिया गया।	सूचना दी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. एवं उसके कार्मिक से सम्बन्धित है। उक्त सूचना इस कार्यालीय में उपलब्ध नहीं हैं इस कार्यालय के पत्रांक 3190 दिनांक 18.12.19 द्वारा प्रबन्ध, निदेशक, दी केन्द्रीय सकहारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर को सूचना देने के लिए लिखा गया है।
2	दिनांक 31.07.2019 को जारी आरोप पत्र में 15 दिवस का समय प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने पत्रांक 21950 दिनांक 31.07.2019 से दिया गया था। अतः दिनांक 16.08.19 से दिनांक 30.10.19 तक जो जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना दी केन्द्रीय सकहारी बैंक लिमिटेड से सम्बन्धित है, उक्त सूचना इस कार्यालय मं उपलब्ध नहीं है।
3	धारा 16 [illegible] जारी अरोप पत्रों में की [illegible] वाली सजा के विवरण की सूचना व [illegible]	[illegible] सीसीए नियमों की प्रति [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते** है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही** है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। [illegible] दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02[illegible]22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:36 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर